न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर,सवाईमाधोपुर
पीठासीन अधिकारी–श्री बलदेवसिह हाडा

तारीख रजू– 18/12/2014

342/2014

सुजान जाति मीना निवासी आदलवाडाखुर्द तहसील चौथ का बरवाडा।

-----अपीलार्थी

बनाम

नायब तहसीलदार,चौथ का बरवाडा।

------ रेस्पो0

दिनांक–21/08/2015

निर्णय

अपीलार्थी ने यह अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम,1956 की धारा 75 के अन्तर्गत नायब तहसीलदार चौथ का बरवाडा द्वारा मिसल संख्या 330/14 मे पारित आदेश दिनांक 29/10/2014 के विरूद्ध प्रस्तुत की है जिसके द्वारा अपीलार्थी को ग्राम आदलवाडाखुर्द की आराजी खसरा नम्बर 266 रकवा हैक्टेयर किस्म बारानी–3 पर संवत 2071 मे अनाधिकृत रूप से अतिक्रमण कर कब्जा काश्त करने का दोषी मानकर भूमि से बेदखल किये जाने, अर्थदण्ड स्वरूप शास्ति आरोपित करने के साथ साथ अपीलार्थी को पश्चातवर्ती अतिचारी मानते हुए सिविल कारावास की सजा के दण्ड से दण्डित करने का आदेश पारित किया गया है।

अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रत्यर्थी की तलबी जरिये नोटिस की गई तथा अपीलाधीन आदेश संबंधी अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। रेस्पो0 की ओर से राजकीय पेरोकार उपस्थित आये तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली प्राप्त होने पर बहस उभय पक्ष सुनी गयी।

विद्वान वकील अपीलार्थी ने अपील मे वर्णित तथ्यो का हवाला देते हुए बहस मे तर्क दिया कि निर्णय अधीनस्थ न्यायालय खिलाफ कानून व रूएदाद मिसल होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है। विद्वान वकील अपीलार्थी ने बहस मे यह भी तर्क दिया कि अपीलार्थी को अदालत मातहत ने सुनवाई व जवाब पेश करने का अवसर दिये बगैर ही एकपक्षीय निर्णय पारित किया है जो निरस्त होने योग्य है। वकील अपीलार्थी ने बहस मे यह भी तर्क दिया कि अपीलार्थी को ग्राम आदलवाड़ाखुर्द की आराजी खसरा नम्बर 266 रकवा हैक्टेयर किस्म बारानी–3 भूमि पर कोई फसल की सरसो नही बोई है बल्कि अपीलार्थी के पुत्र रामअवतार के द्वारा सरसो की फसल बोई है जिसे अपीलार्थी द्वारा मना भी किया गया था इस प्रकार अपीलार्थी को अतिक्रमित आराजी पर गलत अतिक्रमी मानकर अपीलाधीन निर्णय पारित किया है जो निरस्तनीय है। विद्वान वकील अपीलार्थी ने बहस मे यह भी तर्क दिया कि अतिक्रमित आराजी वर्तमान मे खाली है किसी प्रकार की कोई फसल काश्त नही है इस वजह से भी अपीलाधीन निर्णय निरस्तनीय है।अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार फरमाई जाकर अदालत मातहत का निर्णय निरस्त फरमाया जावें। विद्वान वकील अपीलार्थी ने बहस मे यह भी तर्क दिया कि अपीलार्थी के विरूद्व झूठी शिकायत के आधार पर अपीलाधीन निर्णय की कार्यवाही की है जो निरस्त होने योग्य है। अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार फरमाई जाकर अदालत मातहत का निर्णय निरस्त फरमाया जावें।

विद्वान राजकीय पेरोकार नें बहस मे तर्क दिया कि अपीलार्थी ने अदालत मातहत द्वारा 29/10/2014 को पारित निर्णय की अपील 15/12/14 को प्रस्तुत की है तथा विलम्ब से प्रस्तुत करने का कोई समुचित कारण अंकित नही किया है। अतः अपील अपीलार्थी मियाद बाहर होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है। विद्वान राजकीय पेरोकार ने बहस मे यह भी तर्क दिया कि आदेश जेरे अपील पारित करने से पूर्व पूर्ण सुनवाई सबूत का अवसर दिया है तथा पश्चातवर्ती अतिचार के कम मे सम्यक जांच करने के उपरान्त ही आदेश पारित किया है जिसमे कोई अनियमितता नही है। अतः अपील अपीलार्थी खारिज की जावें।

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

अपील संख्या 342/14 हनुमान/सरकार

अपीलार्थी व पेरोकार राज की बहस सुनने तथा अपीलार्थी द्वारा अपील मे अंकित तथ्यो व संबंधी पत्रावली का अवलोकन करने के पश्चात हम इस निष्कर्ष पर पहुचे है कि अदालत जेरे अपील पारित करने से पूर्व अपीलार्थी अतिक्रमी को विधिवत रूप से सुनवाई सबूत हेतु सुनवाई तिथि 10/10/14 व 29/10/14 का नोटिस जारी किया गया था जिसमे तामील हुई है बावजूद प्रोपर तामील अपीलार्थी अदालत मातहत के समक्ष उपस्थित नही ने अपीलार्थी का यह कथन मानने योग्य नही है कि उसको सुनवाई सबूत का अवसर है। जहां तक अपीलार्थी को पूर्ववर्ती अतिचारी के मानते हुए सिविल कारावास की सजा का किये जाने का प्रश्न है तो इस संबंध मे अपीलार्थी द्वारा पूर्व मे किये गये अतिचार के संबंध मे पटवारी हल्का द्वारा भू–अभिलेख निरीक्षक से प्रमाणित अतिक्रमण की रिपोर्ट जिसमे होना अंकित है, पूर्व अतिचार के सबंध मे लिये पटवारी हल्का के हस्तलिखित बयान व की पत्रावली संख्या 785/12 रजू दिनांक 21/12/12 की छाया प्रति जिसमे अपीलार्थी पर अतिचार करने पर नायब तहसीलदार चौथ का बरवाडा ने दिनांक 15/01/13 को को जॉच हेतु पत्र लिखा है जिसपर पटवारी हल्का ने दिनाक 22/01/13 को मोका की है जिसमे अपीलार्थी द्वारा अतिक्रमित आराजी से अतिचार नही हटाना व फसल होना बताया है इस पर अदालत मातहत ने दिनांक 23/01/13 को अपीलार्थी के विरूद्व कार्यवाही हेतु थानाधिकारी को लिखने हेतु आदेश पारित किया है। इसके अतिरिक्त पर अपीलार्थी के पश्चावर्ती अतिचार होने बाबत अदालत मातहत ने पूर्ण जॉच की है का अतिकमित आराजी पर संवत 2070 फसल खरीफ मे न्यायालय तहसीलदार चौथ का संख्या 187/13 मे अपीलार्थी को अतिक्रमण के जुर्म मे एक माह के सिविल कारावास से दण्डित किया गया है। इस प्रकार अदालत मातहत द्वारा अतिक्रमित आराजी पर के आधार पर पश्चातवर्ती अतिचार की पुष्टि हो जाने व बार बार अतिक्रमित आराजी पर आदी पाये जाने के उपरान्त ही अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया है जिसमे किसी व अनियमितता नही झलकती हैं।

विवेचन के आधार पर अपील अपीलार्थी अस्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय दिनांक 29/10/2014 यथावत रखा जाता है।

दिनांक 21/08/2015 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

((बलदेव सिंह हाडा)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर,
सवाईमाधोपुर